



2024: CGHC: 39702  
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर  
विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक 1133/2019

प्रणय हलदर, आत्मज स्वर्गीय मनोरंजन हलदर, आयु लगभग 44 वर्ष,  
व्यवसाय ठेकेदार, निवासी ग्राम संजय नगर (अजबनगर), थाना  
जयनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़।

-----अपीलार्थी

विरुद्ध

- 1 - नरसिंह नारायण सिंह, आत्मज लगन राम, निवासी कंद्रई, बासपारा,  
सूरजपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़। (चालक)
- 2 - गुलिनंदर राम, आत्मज सुमारु राम, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी कंद्रई,  
थाना जयनगर, सूरजपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़। (स्वामी)
- 3 - चोलामंडलम इंश्योरेंस कंपनी, द्वितीय तल, सिमरन टॉवर, एल.आई.सी.  
बिल्डिंग के सामने, पंडरी, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। (बीमाकर्ता)

-----प्रत्यर्थीगण

-----  
अपीलार्थी की ओर से : श्री इमाम सिद्दीकी, अधिवक्ता, श्री सैयद माजिद अली, अधिवक्तागण  
प्रत्यर्थी क्र. 1 एवं 2 की ओर से : श्री ऋषिकांत महोबिया एवं श्री अमन केशरवानी, अधिवक्तागण  
प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से : सुश्री प्रज्ञा मिश्रा, अधिवक्ता, श्री एन.के. ठाकुर, अधिवक्तागण  
-----

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा

बोर्ड पर आदेश

07/10/2024



1. अपीलार्थी/दावेदार ने मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में '1988 का अधिनियम') की धारा 173 के तहत यह अपील द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 09/2017 में पारित पंचाट दिनांक 08.03.2019 के विरुद्ध अधिनिर्णीत प्रतिकर राशि में वृद्धि की मांग करते हुए प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अधिकरण ने 1988 के अधिनियम की धारा 166 के तहत प्रस्तुत आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए चोट के एक मामले में 9,16,006/- रुपये प्रतिकर के रूप में प्रदान किए थे।
2. इस अपील के निस्तारण के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि दिनांक 22.09.2016 को सुबह 7:00 बजे, अपीलार्थी/दावेदार अपनी मोटरसाइकिल पर संजय नगर स्थित अपने घर की ओर से लौट रहा था, तभी ग्राम रवींद्रनगर के मुख्य मार्ग के पास, अनावेदक/प्रत्यर्थी क्रमांक 01 (दुर्घटनाकारित वाहन का चालक) ने ट्रेलर पंजीयन क्रमांक CG-15-AC-4556 को लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए अपीलार्थी के वाहन को पीछे से टक्कर मार दी, वाहन के ऊपर से चढ़ा दिया और भाग गया। अपीलार्थी की मोटरसाइकिल उक्त ट्रेलर में फंसी रह गई। दुर्घटना के कारण, अपीलार्थी के दोनों पैरों की हड्डियां चकनाचूर हो गईं और उसे शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं तथा उसके दोनों पैर काटने पड़े और वह स्थायी रूप से निःशक्त हो गया। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट थाना जयनगर में प्रत्यर्थी क्रमांक 1/चालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 338 एवं 337 के तहत दर्ज की गई थी।
3. दावेदार ने अधिकरण के समक्ष 1988 के अधिनियम की धारा 166 के तहत 30,40,000/- रुपये के प्रतिकर की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह अभिवचन किया गया कि दुर्घटना की तिथि पर वह 'ठेकेदार' के रूप में कार्य कर रहा था और 15,000 रुपये प्रति माह कमा रहा था। मोटर दुर्घटना में उसे स्थायी निःशक्तता हुई है और अब वह वह कार्य करने में असमर्थ है जो वह दुर्घटना से पूर्व कर रहा था।
4. अनावेदक/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 2 ने आवेदन पर अपना जवाब प्रस्तुत किया और उसमें किए गए अभिवचनों से इनकार किया। आगे यह अभिवचन किया गया कि उल्लेखित दुर्घटना स्वयं अपीलार्थी/दावेदार की लापरवाही के कारण हुई है और अपीलार्थी को उक्त दुर्घटना में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। अपीलार्थी ने उनके विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कराया है। दावेदार/अपीलार्थी उनसे किसी भी प्रकार की प्रतिकर राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद, यदि अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उल्लेखित दुर्घटना में अपीलार्थी को कोई क्षति हुई है, तो ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक 01 का यह स्पष्ट कथन है कि उल्लेखित दुर्घटना की तिथि पर, अनावेदक क्रमांक 01 के वाहन ट्रेलर क्रमांक CG 15 AC 4556 का वैध



पंजीयन, वैध परमिट था और उसका वाहन उल्लेखित दुर्घटना की तिथि पर अनावेदक क्रमांक 03 की कंपनी द्वारा विधिवत बीमित था। इसके अतिरिक्त, अनावेदक क्रमांक 02 के पास दुर्घटना की तिथि पर ट्रेलर चलाने का वैध और प्रभावी लाइसेंस था। ऐसी स्थिति में, यदि अपीलार्थी को उल्लेखित दुर्घटना में कोई क्षति हुई भी है, तो अनावेदक क्रमांक 01 और 02 इसके प्रतिकर के लिए न तो संयुक्त रूप से और न ही पृथक रूप से उत्तरदायी हैं।

5. अनावेदक/प्रत्यर्थी क्रमांक 3-बीमा कंपनी ने आवेदन पर अपना जवाब प्रस्तुत किया और उसमें किए गए अभिवचनों से इनकार किया। आगे यह अभिवचन किया गया कि बीमित नए ट्रेलर वाहन इंजन नंबर L63476341 और चैसिस नंबर MAT447224F3N23326 के स्वामी, अनावेदक क्रमांक 01 ने उक्त वाहन को वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस, परमिट और बीमा पॉलिसी की शर्तों के घोर उल्लंघन में चलाया है। उक्त ट्रेलर के चालक के पास उक्त वाहन को चलाने के लिए वैध और प्रभावी चालक लाइसेंस नहीं था, जो मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों और बीमा पॉलिसी की शर्तों का घोर उल्लंघन है। उक्त दुर्घटना दोनों चालकों की योगदायी उपेक्षा का परिणाम है, अतः इस दुर्घटना में शामिल घायल व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल के स्वामी और बीमा कंपनी मामले में आवश्यक पक्षकार हैं। उपरोक्त पक्षों को पक्षकार बनाए बिना मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

6. संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभिवाचनों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन पर, अधिकरण ने यह धारित किया कि अनावेदक/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा दुर्घटनाकारित वाहन को उतावलेपन और लापरवाहीपूर्वक चलाने के कारण आई मोटर-दुर्घटना की चोटों के फलस्वरूप दावेदार को 80% स्थायी निःशक्तता हुई है। योगदायी उपेक्षा का तथ्य सिद्ध नहीं पाया गया। अधिकरण ने आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया, 9% वार्षिक ब्याज के साथ 09,16,006/- रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की और प्रतिकर राशि का भुगतान करने का दायित्व अनावेदक क्रमांक 3/बीमा कंपनी पर अधिरोपित किया।

7. अपीलार्थी/दावेदार के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अधिकरण ने दावेदार की आय केवल 4,500/- रुपये प्रति माह आंकने में त्रुटि की है, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि दावेदार ने अपने अभिवाचनों और साक्ष्य में विशिष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि वह 'ठेकेदार' के रूप में कार्य कर रहा था और 15,000/- रुपये प्रति माह कमा रहा था; अधिकरण ने दुर्घटना की तिथि, अर्थात् 22.09.2016 और दावेदार की आयु 44 वर्ष पर भी ध्यान नहीं दिया। अधिकरण ने अन्य मदों जैसे चिकित्सा व्यय; विशेष आहार; पीड़ा और कष्ट; सुख-सुविधाओं और जीवन के आनंद की हानि; परिवहन और परिचारक के अंतर्गत उचित प्रतिकर राशि प्रदान नहीं की है। उनका आगे यह तर्क है



कि अधिकरण को दावेदार की अर्जन क्षमता की हानि को अधिकरण द्वारा मूल्यांकित 80% के बजाय 100% मानना चाहिए था। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि अधिकरण ने भविष्य की संभावनाओं के पहलू पर कोई राशि न देकर त्रुटि की है और अपीलार्थी के भविष्य के उपचार के लिए भी कोई राशि प्रदान नहीं की गई है। अपीलार्थी की आयु को देखते हुए, अधिकरण द्वारा निर्धारित मासिक आय कम है, जिसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिकरण द्वारा निर्धारित 80% स्थायी निःशक्तता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर 100% तक पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

8. विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद सबीर उर्फ शबीर हुसैन बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक, यू.पी. स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (सिविल अपील संख्या 9070-9071/2022) और अभिमन्यु प्रताप सिंह बनाम नमिता सेखों एवं अन्य, (2022) 8 SCC 489 में पारित निर्णय पर भरोसा किया गया है। अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित पंचाट विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण और विपरीत है, अतः इसमें संशोधन किया जाना चाहिए और प्रतिकर पंचाट को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

9. प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 2 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दुर्घटना की तिथि पर, दुर्घटनाकारित वाहन का चालक वैध और प्रभावी चालक लाइसेंस धारक था, अतः प्रतिकर राशि के भुगतान का दायित्व, यदि कोई हो, तो वह बीमा कंपनी का होगा।

10. प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दावेदार अपनी आय सिद्ध करने के लिए कोई भी सामग्री या दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत करने में विफल रहा है। किसी भी स्वीकार्य साक्ष्य के अभाव में, अधिकरण द्वारा मृतक [दावेदार] की आय काल्पनिक आधार पर 4,500/- रुपये प्रति माह निर्धारित करना न्यायोचित है। दावा अधिकरण ने दावेदारों द्वारा अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों पर विचार करने के बाद कुल 09,16,006/- रुपये की प्रतिकर राशि अधिनिर्णीत की है। अतः, अधिकरण द्वारा दावेदार को प्रदान की गई प्रतिकर राशि को कम नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायोचित और उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. मैंने संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अधिकरण द्वारा पारित पंचाट तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

12. विद्वान अधिकरण ने प्रतिकर निम्नानुसार अधिनिर्णीत किया है :



क्र. सं.	मद/विवरण	अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत (रुपये में)
1.	दावेदार की वार्षिक आय	4,500 x 12 = 54,000/-
2.	80% की सीमा तक कार्यात्मक निःशक्तता की हानि	54,000 x 80% = 43,200/-
3.	कुल निर्भरता की हानि के आकलन हेतु लागू 14 का गुणक	43,200 x 14 = 6,04,800/-
4.	दवा और उपचार व्यय के लिए	2,72,206/-
5.	शारीरिक और मानसिक पीड़ा के लिए	10,000/-
6.	विशेष आहार के लिए	10,000/-
7.	परिचारक के लिए	09,000/-
8.	परिवहन के लिए	10,000/-
9.	<b>कुल प्रतिकर</b>	<b>09,16,006/- रुपये</b>

13. अधिकरण ने कार्यात्मक निःशक्तता की हानि का मूल्यांकन 80% किया है। डॉ. अनुपम मिंज (आ.सा.-03) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि अपीलार्थी/दावेदार के दोनों पैरों में चोटों के कारण दोनों पैरों को काटना पड़ा, जो लगभग 80% निःशक्तता के बराबर है। यह एक स्थायी निःशक्तता है जिसमें सुधार की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने आगे यह राय दी कि उक्त विच्छेदन के कारण, अपीलार्थी/दावेदार की चोटों में सुधार की संभावना नहीं है। निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रदर्श ए-10 सी के रूप में प्रदर्शित है।

14. डॉ. अनुपम मिंज (आ.सा.-03) द्वारा दिए गए मत के साथ-साथ जिला चिकित्सा मंडल, अंबिकापुर द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र (प्रदर्श ए-10 सी) के आधार पर, इस न्यायालय का यह मत है कि विद्वान अधिकरण द्वारा निर्धारित अपीलार्थी की 80% कार्यात्मक निःशक्तता अत्यंत कम है।

15. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि दिनांक 22.09.2016 को हुई दुर्घटना में कारित चोटों के कारण अपीलार्थी के दोनों पैर काट दिए गए थे। अपीलार्थी का परीक्षण जिला चिकित्सालय,



अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनुपम मिंज (आ.सा.-03) द्वारा किया गया था, जिन्होंने निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रदर्श ए-10 सी जारी किया। अपीलार्थी का निःशक्तता प्रमाण पत्र दर्शाता है कि अपीलार्थी को 80% की सीमा तक स्थायी निःशक्तता हुई है।

16. विद्वान दावा अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यद्यपि स्थायी निःशक्तता प्रमाण पत्र 80% के संबंध में है, किंतु अपीलार्थी के कार्य और व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए किसी भी कार्य के निष्पादन हेतु दोनों पैरों की एक साथ आवश्यकता होती है। अपीलार्थी अपना पूर्व का कार्य करने के लिए 100% अक्षम हो गया है। अपीलार्थी ने अपने अभिवचनों और साक्ष्य में विशिष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि दुर्घटना की तिथि से पूर्व वह 'ठेकेदार' का कार्य कर रहा था और ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए दोनों पैरों से कार्य करना आवश्यक है। जो कार्य अपीलार्थी दुर्घटना की तिथि से पूर्व कर रहा था, वह निष्पादित नहीं किया जा सका।

17. राज कुमार बनाम अजय कुमार एवं अन्य, (2011) 1 SCC 343 के मामले में, घायल की आय पर स्थायी निःशक्तता के प्रभाव पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया है: -

“14. उदाहरण के लिए, यदि किसी दावेदार का बायां हाथ काट दिया जाता है, तो स्थायी शारीरिक या कार्यात्मक निःशक्तता का निर्धारण लगभग 60% किया जा सकता है। यदि दावेदार चालक या बढ़ई था, तो अर्जन क्षमता की वास्तविक हानि वस्तुतः शत-प्रतिशत हो सकती है, यदि वह न तो वाहन चलाने में और न ही बढ़ईगरी का कार्य करने में सक्षम है। दूसरी ओर, यदि दावेदार सरकारी सेवा में लिपिक था, तो उसके बाएं हाथ की हानि के परिणामस्वरूप रोजगार की हानि नहीं हो सकती है और वह एक लिपिक के रूप में कार्य जारी रख सकता है क्योंकि वह अपने लिपिकीय कार्यों का निष्पादन कर सकता है; और उस स्थिति में अर्जन क्षमता की हानि 100% नहीं होगी जैसा कि चालक या बढ़ई के मामले में होती है, और न ही 60% होगी जो कि वास्तविक शारीरिक निःशक्तता है, बल्कि उससे बहुत कम होगी। वास्तव में, 'भविष्य की आय की हानि' के मद के तहत कोई प्रतिकर देने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, यदि दावेदार सरकारी सेवा में बना रहता है, यद्यपि उसे अपना हाथ खोने के परिणामस्वरूप 'सुख-सुविधाओं की हानि' के मद के तहत प्रतिकर दिया जा सकता है। कभी-कभी घायल दावेदार को सेवा में बनाए रखा जा सकता है, लेकिन उसकी निःशक्तता के कारण उसे उस पद या कार्य से जुड़े कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयुक्त



नहीं पाया जा सकता है जिसे वह पहले धारण कर रहा था, और इसलिए उसे कम उपलब्धियों वाले किसी अन्य उपयुक्त लेकिन निचले पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है, जिस स्थिति में कम हुई अर्जन क्षमता को ध्यान में रखते हुए 'भविष्य की अर्जन क्षमता की हानि' के मद के तहत सीमित अधिनिर्णय होना चाहिए।”

18. मोहन सोनी बनाम राम अवतार तोमर एवं अन्य, (2012) 2 SCC 267 के एक अन्य निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया है: -

“12. उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, हमें उच्च न्यायालय और अधिकरण के उस निष्कर्ष पर आधारित निर्णय को सही ठहराना अत्यंत कठिन लगता है कि बाएं पैर के कटने के परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अर्जन क्षमता की हानि केवल 50% थी। यह उल्लेखित है कि अपीलार्थी हाथ-ठेला खींचने वाले के रूप में अपनी जीविका अर्जित करता था। अधिकरण ने पाया है कि दुर्घटना के समय उसकी आयु 55 वर्ष थी। उस आयु में अपीलार्थी के लिए कोई भी अन्य कार्य खोजना असंभव होगा। प्रति-परीक्षण की प्रवृत्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि यह सुझाव देने का प्रयास किया गया था कि एक पैर खोने के बावजूद अपीलार्थी अभी भी बैठकर कुछ कार्य कर सकता है जैसे सब्जी बेचना। सैद्धांतिक रूप से हाथ-ठेला खींचने वाले के अपना कार्य बदलकर सब्जी विक्रेता बनने के बारे में बात करना बहुत आसान है। लेकिन मोटर दुर्घटना के किसी ऐसे पीड़ित को देय प्रतिकर की गणना, जिसे किसी अंग की हानि आदि के कारण गंभीर स्थायी निःशक्तता हुई है, में ऐसे अनिश्चित कारकों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

13. प्रतिकर में किसी भी प्रकार की कटौती के लिए इस काल्पनिक अनुमान की तुलना में कुछ अधिक ठोस आधार होना चाहिए कि निःशक्तता के बावजूद, पीड़ित अपना व्यवसाय बदलकर या आजीविका का दूसरा साधन अपनाकर आय की हानि की भरपाई कर सकता है। इस आधार पर कम प्रतिकर राशि का समर्थन करने वाले पक्षकार को अधिकरण के समक्ष यह अभिवचन करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि पीड़ित को कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त था (जैसा कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के मामले में होता है) या असंगठित क्षेत्र में अपनी आजीविका



कमाने वाली विशाल जनता के मामले में, अकाट्य साक्ष्य द्वारा यह दिखाना चाहिए कि पीड़ित ने वास्तव में अपना व्यवसाय या अपनी आजीविका का साधन बदल लिया था और ऐसे परिवर्तन के आधार पर वह एक निश्चित आय प्राप्त कर रहा था।”

19. मोहन सोनी (पूर्वोक्त) के मामले में, जहाँ चालक को एक दुर्घटना में स्थायी निःशक्तता हुई थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आय की हानि का मूल्यांकन 100% की सीमा तक किया है।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि के आलोक में तथा वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के दोनों पैर काट दिए गए थे, जो डॉक्टर (साक्षी आ.सा.-3) के परीक्षण से सिद्ध हुआ है, जिन्होंने अपने बयान में आगे स्पष्ट किया कि उक्त चोटों के कारण, यह एक स्थायी निःशक्तता है जिसमें सुधार की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने आगे यह राय दी कि उक्त विच्छेदन के कारण, चोटों में सुधार की संभावना नहीं है। दस्तावेजों/साक्ष्यों के परिशीलन से प्रतीत होता है कि कृत्रिम अंगों के उपयोग के बाद भी, अपीलार्थी अपने पूर्व स्वभाव का कार्य करने में सक्षम नहीं होगा, जो यह दर्शाता है कि अपीलार्थी को आय की 100% हानि के रूप में निःशक्तता हुई है। अतः, अधिकरण द्वारा दर्ज यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी को केवल 80% स्थायी निःशक्तता हुई है और जिसके कारण उक्त स्थायी निःशक्तता से आय की 80% हानि हुई है, टिकने योग्य नहीं है और अपास्त किए जाने योग्य है।

21. अपीलार्थी द्वारा अगला तर्क घायल/अपीलार्थी की मासिक आय के निर्धारण के संबंध में उठाया गया है। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी 'ठेकेदार' का कार्य कर रहा था। हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए उसे 'श्रमिक' मानना उचित होगा। कार्य की प्रकृति और दुर्घटना की तिथि, जिस पर अपीलार्थी को स्थायी निःशक्तता हुई, को देखते हुए अपीलार्थी की मासिक आय 6,107/- रुपये प्रति माह निर्धारित करना उचित होगा (प्रासंगिक समय पर अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार)।

22. विचार हेतु अगला आधार यह है कि क्या घायल अपीलार्थी भविष्य की संभावनाओं की हानि के लिए भी हकदार होगा। अपीलार्थी के दोनों पैर काट दिए हैं। मामले के तथ्यों और उस नियोजन की प्रकृति जिससे अपीलार्थी दुर्घटना की तिथि से पूर्व जुड़ा था, आय की हानि के प्रति निःशक्तता का परिणाम 100% होगा। वह 100% स्थायी रूप से निःशक्त हो गया है क्योंकि वह वह कार्य नहीं कर सकता जो वह दुर्घटना से पहले कर रहा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **यादव कुमार बनाम डिवीजनल मैनेजर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य, (2010) 10 SCC 341** के मामले में निम्नानुसार निर्धारित किया है: -



17. उच्च न्यायालय और अधिकरण को यह समझना चाहिए कि प्रतिकर और हर्जाने के बीच अंतर है। अभिव्यक्ति 'प्रतिकर' में हर्जाने का दावा शामिल हो सकता है लेकिन प्रतिकर अधिक व्यापक है। सामान्यतः हर्जाना उस चोट के लिए दिया जाता है जो सहन की गई है, जबकि प्रतिकर थोड़ा उच्च स्तर पर होता है। यह कारित चोट के प्रायश्चित के लिए दिया जाता है और प्रतिकर प्रदान करने के पीछे का उद्देश्य घायल पक्ष को यथासंभव उसी स्थिति में वापस लाना है, जैसे कि चोट लगी ही न हो, जो कि आर्थिक राहत प्रदान करके किया जाता है। इस प्रकार, प्रतिकर की गणना के मामले में, दृष्टिकोण हर्जाने के मूल्यांकन के मामले में किए जाने वाले दृष्टिकोण की तुलना में थोड़ा अधिक व्यापक होगा। साथ ही यह भी सच है कि प्रतिकर के निर्धारण के मामले में कोई कठोर या गणितीय सटीकता नहीं हो सकती है।

18. इन सिद्धांतों के अनुसार, जैसा कि हमें करना चाहिए, यह न्यायालय यह टिप्पणी करने के लिए विवश है कि इस मामले में भविष्य की आय की हानि के लिए किसी भी प्रकार का प्रतिकर देने से पूरी तरह इनकार करने में

उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही नहीं है।”

23. भविष्य की संभावनाओं के अधिनिर्णय के संबंध में विधि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यादव कुमार (पूर्वोक्त) के मामले में प्रतिपादित की गई है और उक्त विधि को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, चूंकि अपीलार्थी दुर्घटना की तिथि पर 44 वर्ष का था, वह भविष्य की संभावनाओं की हानि के मद में मासिक आय के 25% का भी हकदार है।

24. अपीलार्थी की चोटों की प्रकृति को देखते हुए, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को दैनिक दिनचर्या के कार्यों के लिए शेष जीवन भर एक परिचारक की आवश्यकता होगी, इसलिए, इस न्यायालय की राय में, घायल-अपीलार्थी/दावेदार जीवन भर के लिए परिचारक शुल्क के रूप में 3,000/- रुपये प्रति माह (36,000/- रुपये वार्षिक) प्राप्त करने का हकदार है।

25. पूर्ववर्ती चर्चा के आलोक में, विद्वान दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर को अपास्त किया जाता है। प्रतिकर की पुनर्गणना निम्नानुसार की जाती है:

क्र. सं.	मद/विवरण	इस न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत (रुपये में)
1.	मासिक आय	6,107/-
2.	भविष्य की संभावनाएं @ 25%	1,526.75/- (राउंड ऑफ 1,527/-)



क्र. सं.	मद/विवरण	इस न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत (रुपये में)
3.	कुल मासिक आय	7,634/-
4.	100% की सीमा तक कार्यात्मक निःशक्ता की हानि	$7,634 \times 100\% = 7,634/-$
5.	कुल वार्षिक आय	$7,634 \times 12 = 91,608/-$
6.	कुल निर्भरता की हानि के आकलन हेतु लागू 14 का गुणक	$91,608 \times 14 = 12,82,512/-$
7.	दवा और उपचार व्यय के लिए	2,72,000/-
8.	विशेष आहार के लिए	20,000/-
9.	परिवहन के लिए	15,000/-
10.	शारीरिक पीड़ा और कष्ट के लिए	50,000/-
11.	परिचारक के लिए	15,000/-
12.	सुख-सुविधाओं की हानि के लिए	50,000/-
13.	जीवन की प्रत्याशा की हानि	1,00,000/-
14.	जीवन भर के परिचारक शुल्क हेतु ( $36,000 \times 14 = 5,04,000/-$ )	5,04,000/-
	<b>कुल प्रतिकर</b>	<b>23,08,512/- रुपये</b>

26. पूर्वोक्त कारणों के आधार पर, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत 9,16,006/- रुपये की प्रतिकर राशि को बढ़ाकर 23,08,512/- रुपये किया जाता है। अतः, 9,16,006/- रुपये की राशि घटाने के पश्चात, अपीलार्थी/दावेदार 13,92,506/- रुपये की अतिरिक्त राशि का हकदार पाया जाता है। अनावेदक/प्रत्यर्थी क्रमांक 3/चोलामंडलम इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अपीलार्थी/दावेदार को उक्त प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी



होगी। अतिरिक्त राशि पर, इसके भुगतान तक 7.5% वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा। आक्षेपित पंचाट की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

27. अपील को उपरोक्त दर्शित सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

सही / -

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

High Court of Chhattisgarh

Bilaspur